

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सुगना पुत्र गोकल माली निवासी पीपलून्द

बनाम

भूरा पिता कजोड माली निवासी पीपलून्द

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 501/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी ह्ये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिमे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम पीपलून्द प.ह.पीपलून्द मे आराजी सं. 1568/1 रकबा 0.0809 है. , 3208/2352 रकबा 1.0117 है. कुल किता 2 रकबा 1.0926 है. भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द की आराजी सं. 1568/1 रकबा 0.0809 है. , 3208/2352 रकबा 1.0117 है. कुल किता 2 रकबा 1.0926 है. भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा</p>	

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/501/2024


दिनांक -13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स.501/2024 अनवान सुगना पुत्र गोकल माली निवासी पीपलून्द बनाम भूरा पिता कजोड माली, कालू पिता कजोड माली, श्रीमति नंदू पत्नि कजोड माली, शंकर पिता भूरा माली, घीसू पिता खाना माली, लादू पिता छोगा माली, दिनेश पिता रतनलाल पारीक, गोपाल पिता मोहन बलाई, जमना पिता खाना माली, दुर्गालाल पिता भूरा माली, रमेश पिता भूरा माली निवासी पीपलून्द, श्रीमति आशा पत्नि ब्रहमा मीणा निवासी गोदान का बाडा, श्रीमति मोहनी पत्नि प्रेमसिंह मीणा निवासी गाडोली, अनिल पिता कन्हैयालाल पारीक, श्रीमति किरण पत्नि विष्णु पारीक, राजेश पिता मोहन बलाई, दीपक पिता रामनिवास खटीक निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द की आराजी सं. 1568/1 रकबा 0.0809 है, 3208/2352 रकबा 1.0117 है. कुल किता 2 रकबा 1.0926 है. भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा